बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन का आमंत्रण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान अंकित है। उक्त अधिनियम की धारा-15(5) में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त पद के लिए वांछित योग्यता का उल्लेख है। उक्त पदों पर विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति नियुक्त होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथा स्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

उक्त पद की शैक्षणिक अर्हता, योग्यता, सेवा-शर्त्तें, वेतन, भत्ते और प्रविधि आदि की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विहित प्रपत्र एवं घोषणा-पत्र कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट-www.gad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद के लिए उक्त मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र 1 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को एवं इस विभाग के E-mail ID-Secy-par-bih@nic.in पर भी भेजा जा सकता है। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाये। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ आवेदक को इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा-पत्र, प्रपत्र-2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएँ एवं प्रमाण पत्र वह आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर रहे है, वह सत्य है।

प्राप्त आवेदन–पत्रों के आलोक में "उच्च स्तरीय समिति" राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु विचार करेगी। चयनित नहीं होने वाले व्यक्तियों के चयन नहीं होने के कारणों को प्रकट करने की बाध्यता "समिति" अथवा इस विभाग की नहीं होगी।

(हिमांशु कुमार राय)
अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
मुख्य सचिवालय, पटना-15
सम्पर्क :– (मो.) +91 8603524023
(फोन) 0612-2215010

Advertisement letter

प्रपत्र-1

बिहार सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट आकार अभिप्रमाणित फोटो

1. नाम
2. जन्मतिथि
3. वर्तमान पता-
4. संपर्क विवरण

(क) दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड सहित)

(ख) मोबाइल संख्या

5. ई-मेल पता-
6. शैक्षिक अर्हताएँ
7. विशेषज्ञता क्षेत्र
8. वर्तमान व्यवसाय / नौकरी
9. उपलब्धियां / कार्य अनुभव (संलग्न के अनुसार)

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

Advertisement letter

प्रपत्र-1 का संलग्नक

बिहार सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आवेदकों की उपलब्धियाँ/कार्य अनुभव का प्रपत्र

क्र.सं.	धारित पद	संगठन का नाम	समयावधि		उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			कब से	कब तक.	
1					
2					
3					
4					
5					

हस्ताक्षर.................................

आवेदक का नाम........................

Advertisement letter

प्रपत्र-2

स्व अभिप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्रीमती......................उम्र..............

वर्ष ....व्यवसाय........................निवासी........................ प्रमाणित करते हुए घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दिए गए विवरण / तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भाँति अवगत हूँ। यदि आवेदन-पत्र में दिया गया कोई विवरण / तथ्य मिथ्या पाया जाता है, तो मैं भा०द०वि० 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा किया गया दस्वावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधाएँ तत्काल वापस ले ली जाएँ।

स्थान   आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर......................

दिनांक   आवेदक / आवेदिका का नाम

GOVERNMENT OF BIHAR
General Administration Department

APPLICATIONS INVITED FOR APPOINTMENT OF VACANT POST OF THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER, BIHAR

Section-15 of The Right to Information Act, 2005, describes about appointment of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners. Section-15(5) of the said Act describes the requisite qualification for the post of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner. On that posts, the persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration or governance shall be appoint. The State Information Commissioners shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State, or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business, or pursuing any profession.

Please refer to our website - **www.gad.bih.nic.in** of General Administration Department, Bihar, Patna for relevant details of qualification, eligibility, terms and conditions, salary, allowances and procedure e.t.c. Right to Information Act, 2005 and prescribed format for inviting application and declaration letter.

Applications are invited from interested persons fulfilling the above- said criteria in prescribed format-1for vacant post of State Chief Information Commissioner, Bihar. Application may send within 30 days of the publication of this notice to Additional Secretary, General Administration Department Bihar, Patna by registered post or speed post and E-mail Id-**secy-par-bih@nic.in** of this department. persons who are serving under the State/Central Government or any other organization, should send their particulars through proper channel within prescribed period. Applications received after prescribed period shall not be accepted in any condition.

It is necessary to the applicant to give a self attested declaration-letter in format -2 that Information and certificates enclosed with application, is true.

In the light of received applications "High Level Committee" shall be consider of selection to appropriate person for appointment on the post of State Chief Information Commissioner. There shall be no any compulsion of "Committee" or this department to disclose the causes of not selection of the persons who are not selected.

(Himanshu Kumar Rai)
Additional Secretary,
General Administration Department,
Main Secretariat, Patna-800015.
Contact - (Mo-)+(91) 8603524023
(Te-) 0612-2215010

Format-1

Format of application for consideration for the appointement on vacant post of Stae Chief Information Commissioner in Bihar information Commission.

Affix the Latest Passport Size Photograph

1. Name
2. Date of Birth
3. Present Address
4. Contact Details

(a) Telephone(along with STD Code)

(b) Mobile Number

5. E-mail address
6. Educational Qualification
7. Area of Eminence
8. Present Occupation/Service
9. Achievement/Work Experience (As per Annexure)

Date

Place

Signature

Name

Annexure of format -1

Format of achievements/work experience in respect of applicants for consideration for the appointement on vacant post of Stae Chief Information Commissioner in Bihar information Commission.

Sl. No-	Post	Organisation	Period		Details of Achievements/ Experience (In brief)
			from	To	
1					
2					
3					
4					
5					

Signature...............................

Name of Applicant ....

Advertisement letter

Format -2

Self-Attested declaration-letter

I..son/daughter/wife/Mrs......................age.............. Year...................................occupation..............resident...........................authentically declared that details/fact given in application is correct and true in my Personal knowledge and faith. I am fully aware the result of giving false details/facts. If detail/ fact given in application found false, then I will be own responsible for prosecution and punishment under section-199 and 200 of I.P.C., 1960 and any other effective law.

I also declared this, that if self- attestation or declaration of papers done by me, found false or false papers self attested by me, then all type of facilities acquired by me, withdraw immediately .

Place.................... Signature of applicant ....

Date .... Name of applicant............................